

सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या GSR 153(E) [No. 24/2024/F.No.370142/1/2024-TPL(PART-1) दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से आयकर रिटर्न -7 (ITR-7) के लिए नया फॉर्म अधिसूचित किया है।

ITR-7 की नई आवश्यकताओं में से एक LEI (Legal Entity Identifier) संख्या तथा इसकी वैधता तिथि को प्रस्तुत करना है, यदि 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के रिफंड का दावा है।

क्या आप जानते हैं ? 

यदि रिफंड का दावा 50 करोड़ रुपये या अधिक है, तो नए ITR-7 फॉर्म में LEI नम्बर तथा इसकी वैधता को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रस्तुत करना आवश्यक है।